

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां, भीलवाड़ा

२२-११

वनाम

रामबहा

क्रिम मुकदमा

111-228

प्रकरण संख्या 45 सन् 2025

नारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में
जारी हुए

25/2
2025

प्रार्थना-पत्र सीमे से वाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

नमिल डाफ

10/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिवाक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को वास्ते पेश हो:

उप खण्ड अधिकारी

17/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिवाक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्ते पेश हो:

उप खण्ड अधिकारी

24/3/25

पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील डाफ हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी वाद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को उबात आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जाये। पत्रावली के तहत शुमार नम्बर ले कम होकर शामिल रहते हैं।

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा



FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां, भीलवाड़ा

रहना

बनाम

रामबहा

रसम मुकदमा

111-128

प्रकरण संख्या 45 सन् 2025

नम्बर 3
जारी
अहकम जो
इस हुकम को
समोचन के
जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2

प्रार्थना-पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावे। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 16/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

3/26

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PC सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 को वास्ते 3-11/25 पेश हो:

उपखण्ड अधिकारी

3/28

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PC सा. दोरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 को वास्ते 3-11/25 पेश हो:

उपखण्ड अधिकारी

3/25

पत्रावली पेश हुई। तमत्र विपक्षीगण की बाद सम्मन प्राप्त हुई; जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपासित रहे। विपक्षीगणों को उच्च आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपासित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालन के लक्ष्य में बिजौलियां को लिखा जाये। पत्रावली के तहत हुकम जारी, नम्बर ले कम होकर शामिल हुकम है।



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -45 /2025

दिनांक :- 25/2/2025

प्रेषित :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 45 /2025 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

रतना पुत्र नोला जाति भील उम्र वयस्क निवासी चिताबडा हाल मुकाम खडीपुर तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पिता नन्दा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. छीतरलाल पिता डाणी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा चिताबडा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 251/164 कुल किता 08 रकबा 0.9794 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

स्ताक्षर वकील

Bijolia-Bhilwara
Mo.-9828806273

ता.

मा.

सन्

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - ५३ / 2025

दिनांक :- 25 / 2 / 2025

प्रेषित :-

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या ५३ / 2025 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

रतना पुत्र नोला जाति भील उम्र वयस्क निवासी चिताबडा हाल मुकाम खडीपुर तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पिता नन्दा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. छीतरलाल पिता डाणी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा चिताबडा पटवार हल्का चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 52 पर अंकित आराजी 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 251/164 कुल किता 08 रकबा 0.9794 हैक्टेयर भूमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पूर्व में विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सूचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

हस्ताक्षर वकील

Bijolia-Diwara
Mo.-9820806293

ता.

मा.

सन्